निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1078) पटना, सोमवार, 21 सितम्बर 2015

सामान्य प्रशासन विभाग

———————

अधिसूचना

18 सितम्बर 2015

सं0 7/स्था0–05–05/2014सा0प्र0 **14063**—एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–10163–10165/2015, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य के साथ एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–11365/2015, 11363–11364/2015 एवं 14625–14626/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2015 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में 28वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–75 दिनांक 22.10.2014 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थी को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली–1955 के नियम–24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रू0 27700–770–33090–920– 40450–44700/– के वेतनमान में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र॰ सं॰	संयुक्त मेधा क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं स्थायी पता	कोटि	जन्म तिथि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	303	109580	श्री राजेश कुमार, पिता–स्व0 केदारनाथ राम, ग्रा0 + पो0–हेठुआँ, थाना–राजपुर, जिला–बक्सर, बिहार	अनुसूचित जनजाति	12-06-1976

2. यह नियुक्ति एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–10163–10165/2015, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य के साथ एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–11365/2015, 11363–11364/2015 एवं 14625–14626/2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश से प्रभावित होगी।

3. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उपर्युक्त कर्मी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25 (ख) के अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उस अवधि के लिए संदत्त प्रशिक्षण का खर्च एवं परिलब्धियाँ उनसे वसूलनीय होंगी।''

7. अभ्यर्थी को उनका फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

8. परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्त उक्त अभ्यर्थी की सेवायें उच्च न्यायालय, पटना को सौंपी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1078-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in